U;k;ky; lgk;d dyDVj ,o mi[k.M vf/kdkjh] fcykMk
ftyk tks/kiqj

पीठासीन अधिकारी :— रामचन्द्र खटीक, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :— 104/2019

oknh — cuke — izfroknhx.k

रमेश चौधरी पुत्र आसूराम
जाति जाट निवासी
हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

1. धाराराम पुत्र आसूराम
2. बक्साराम पुत्र आसूराम
3. हापूराम पुत्र आसूराम
4. मोवनीदेवी पुत्री आसूराम
5. सुखीदेवी पुत्री आसूराम
   जातियान जाट निवासीगण
   हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा
   जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

nkok vUrxZr /kkjk 88 jktLFkku Vhusalh ,DV

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान अधि.
प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार

fu.kZ; — fnukad %&

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 493 रकबा 1.0517 हेक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी के पिता आसूराम पुत्र भोमाराम जी की खातेदारी की थी। आसूराम जी के चार पुत्र धाराराम, बक्साराम, हापूराम, रमेश तथा तीन पुत्रिया मोवनीदेवी, सुखीदेवी, गुटकीदेवी तथा पत्नी पुसीदेवी है। जिनमें से आसूराम जी के जीवनकाल में ही उनकी पत्नी पुसीदेवी फौत हो चुकी थी। उसके बाद आसूराम जी का देहान्त सन् 2016 में हो गया। खातेदार आसूराम जी के देहान्त के बाद उनकी पुत्री गुटकीदेवी का देहान्त हो चुका है। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता आसूराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश रखाराम नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम रमेश चौधरी है। इसी प्रकार ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 495 रकबा 1.6908 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 1.9012 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 498 रकबा 2.9124 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 503 रकबा 2.1196 हेक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 8.6240 हेक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी के पिता आसूराम पुत्र भोमाराम जी की सयुक्त खातेदारी की थी। आसूराम जी के चार पुत्र धाराराम, बक्साराम, हापूराम, रमेश तथा तीन पुत्रिया मोवनीदेवी, सुखीदेवी, गुटकीदेवी तथा पत्नी पुसीदेवी है। जिनमें से आसूराम जी के जीवनकाल में ही उनकी पत्नी पुसीदेवी फौत हो चुकी थी। उसके बाद आसूराम जी का देहान्त सन् 2016 में हो गया। खातेदार आसूराम जी के देहान्त के बाद उनकी पुत्री गुटकीदेवी का देहान्त हो चुका है। इस कारण उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता आसूराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश

रखाराम नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम रमेश चौधरी है। इसी प्रकार ग्राम देवनगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2489/3 रकबा 1.2944 हेक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी के पिता आसूराम पुत्र भोमाराम जी की सयुक्त खातेदारी की थी। आसूराम जी के चार पुत्र धाराराम, बक्साराम, हापूराम, रमेश तथा तीन पुत्रिया मोवनीदेवी, सुखीदेवी, गुटकीदेवी तथा पत्नी पुसीदेवी है। जिनमें से आसूराम जी के जीवनकाल में ही उनकी पत्नी पुसीदेवी फौत हो चुकी थी। उसके बाद आसूराम जी का देहान्त सन् 2016 में हो गया। खातेदार आसूराम जी के देहान्त के बाद उनकी पुत्री गुटकीदेवी का देहान्त हो चुका है। इस कारण उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता आसूराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश रखाराम नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम रमेश चौधरी है। वादी को घर में लाड प्यार से रखाराम पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम रमेश चौधरी लिखा हुआ है। जब वादी के पिता आसूराम जी का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण में भूलवश या त्रुटीवश वादी का नाम रखाराम लिखवा दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम रमेश चौधरी है। वादी अभी एक माह पूर्व अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम रमेश चौधरी लिखा हुआ है और जमाबन्दी में रखाराम लिखा हुआ है, जिस पर बैक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपने रखाराम के स्थान पर रमेश चौधरी नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी रखाराम एवं रमेश चौधरी एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 493, 495, 497, 498, 503, 2489/3 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पेश नही की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में रखाराम नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है। वादी को घर पर लाड़ प्यार से रखाराम पुकारते है, इस कारण वादी के पिता आसूराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भूलवश या बीना जानकारी के वादी का नाम रखाराम दर्ज कर दिया, जबकि वादी के सरकारी दस्तावेज रमेश चौधरी नाम से जारी किये हुए है, अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अन्त में वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 493 रकबा 1.0517 हेक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में रखाराम पुत्र आसूराम के स्थान पर रमेश चौधरी पुत्र आसूराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम रखाराम के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर रमेश चौधरी का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे। ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 495 रकबा 1.6908 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 1.9012 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 498 रकबा 2.9124 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 503 रकबा 2.1196 हेक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 8.6240 हेक्टेयर के सयुक्त

राजस्व रेकर्ड में रखाराम पुत्र आसूराम के स्थान पर रमेश चौधरी पुत्र आसूराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम रखाराम के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर रमेश चौधरी का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे। ग्राम देवनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2489/3 रकबा 1.2944 हेक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में रखाराम पुत्र आसूराम के स्थान पर रमेश चौधरी पुत्र आसूराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम रखाराम के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर रमेश चौधरी का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब पेश किया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 493 रकबा 1.0517 हैक्टेयर जरूर आयी हुयी हैं। यह भूमि वादी के पिता आसूराम पुत्र भोमाराम की खातेदारी की थी। आसूराम जी के चार पुत्र धाराराम, बक्शाराम, हापूराम, रमेश तथा तीन पुत्रिया मोवनीदेवी, सुखीदेवी, गुटकीदेवी तथा पत्नी पुसीदेवी है। इसी प्रकार हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 495 रकबा 1.6908 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 1.9012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 498 रकबा 2.9124 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 503 रकबा 2.1196 हैक्टेयर जरूर आयी हुयी हैं। यह भूमि वादी के पिता आसूराम पुत्र भोमाराम की खातेदारी की थी। आसूराम जी के चार पुत्र धाराराम, बक्शाराम, हापूराम, रमेश तथा तीन पुत्रिया मोवनीदेवी, सुखीदेवी, गुटकीदेवी तथा पत्नी पुसीदेवी है। इसी प्रकार ग्राम देवनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2489/3 रकबा 1.2944 हैक्टेयर जरूर आयी हुयी हैं। यह भूमि वादी के पिता आसूराम पुत्र भोमाराम की खातेदारी की थी। आसूराम जी के चार पुत्र धाराराम, बक्शाराम, हापूराम, रमेश तथा तीन पुत्रिया मोवनीदेवी, सुखीदेवी, गुटकीदेवी तथा पत्नी पुसीदेवी है। वादी को घर में लाड प्यार से रखाराम पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम रमेश चौधरी लिखा हुआ है। रखाराम व रमेश चौधरी एक ही व्यक्ति है जो आसूराम जी का जायन्दा पुत्र है। अन्त में जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाढाणा व देवनगर में वादी की खातेदारी कृषि भूमि आयी हुयी है। जिसके खसरा नम्बर 493, 495, 497, 498, 503, 2489/3 है। विरासत नामा. भरते समय वादी का नाम सहखातेदारों के साथ रखाराम पुत्र आसूराम दर्ज कर दिया जबकि सरकारी दस्तावेज में नाम रमेश चौधरी है। अन्त में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का दावा स्वीकार किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण पत्रावली में तनकीयात की आवश्यकता नही रही। इस कारण वादी का साक्ष्य शपथ पत्र रेकर्ड पर लिया गया, वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 493, प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 495, 497, 498, 503, प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 2489/3, प्रदर्श 4 राशनकार्ड, प्रदर्श 5 आधारकार्ड, प्रदर्श 6 पैनकार्ड आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है

कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम रतनलाल दर्ज किया हुआ है, राजस्व रेकर्ड में वादी की खातेदारी रखाराम पुत्र आसूराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम रमेश चौधरी पुत्र आसूराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 493 रकबा 1.0517 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 495 रकबा 1.6908 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 1.9012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 498 रकबा 2.9124 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 503 रकबा 2.1196 हैक्टेयर तथा ग्राम देवनगर के खसरा नम्बर 2498/3 रकबा 1.2944 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज रखाराम पुत्र आसूराम के स्थान पर रमेश चौधरी पुत्र आसूराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

vfUre fMØh o e|dne bCrnkbl
¼vkMj 21 :y 6&7 tkCrk nhokuh½

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास jkepUnz [kVhd] vkj-,-,l-

वादी   बनाम   प्रतिवादी

रमेश चौधरी पुत्र आसूराम
जाति जाट निवासी
हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

1. धाराराम पुत्र आसूराम
2. बक्साराम पुत्र आसूराम
3. हापूराम पुत्र आसूराम
4. मोवनीदेवी पुत्री आसूराम
5. सुखीदेवी पुत्री आसूराम
   जातियान जाट निवासीगण
   हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा
   जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

nkok vUrxr /kkjk 88 vkj-Vh- ,DV

राजस्व वाद संख्या :— 104/2019

निर्णय   दिनांक :—

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान, प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 493 रकबा 1.0517 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 495 रकबा 1.6908 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 1.9012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 498 रकबा 2.9124 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 503 रकबा 2.1196 हैक्टेयर तथा ग्राम देवनगर के खसरा नम्बर 2498/3 रकबा 1.2944 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज रखाराम पुत्र आसूराम के स्थान पर रमेश चौधरी पुत्र आसूराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज —   मुबलिग —   बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख   को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।